अतिआवश्यक
तत्काल
समय-सीमा

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल

क्रमांक 15962 /विधि/प्र.अ./लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक 22/12/2023

प्रति,

(1) समस्त मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र ————————
वि./यां. परिक्षेत्र————————

(2) समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंडल/परियोजना मंडल ————————

(3) समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खंड ————————

विषय :– **सेवानिवृत्त कार्यभारित/नियमित स्थापना के कर्मचारियों द्वारा पेंशन प्रयोजन हेतु दैनिक वेतन भोगी सेवा को जोड़ने विषयक न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभावी प्रतिरक्षण के संबंध में।**

00

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभाग के सेवानिवृत्त अनेकों कार्यभारित/नियमित स्थापना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति उपरांत उनकी दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवाओं को पेंशन प्रयोजन हेतु कुल सेवा अवधि की गणना में शामिल कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन दायर की जा रही हैं। विभाग द्वारा मुख्य रूप से ऐसे मामलों का प्रतिरक्षण पेंशन नियमों में दैनिक वेतन भोगी सेवाओं को शामिल करने का प्रावधान नहीं होने के आधार पर किया जा रहा है। कुछ प्रकरणों में माननीय न्यायालयों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय भी पारित किये गये हैं।

इस संबंध में आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि शासन के नियमों के अनुपालन में वर्ष 2013–14 में अनेकों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण कार्यभारित/नियमित स्थापना के पदों पर किया गया था। यदि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा उनकी दैनिक वेतन भोगी सेवा अवधि पेंशन प्रयोजन के लिये जोड़ने हेतु प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किये जाते हैं तो उनका प्रतिरक्षण किसी भी स्थिति में कार्यभारित /नियमित स्थापना के पूर्व के सेवा नियमो के आधार पर नहीं किया जावे तथा किसी भी स्थिति में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं होने को आधार नहीं बनाया जावे। बल्कि यह नोट करें कि वर्ष 2013–14 में जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया था, उन पर "अंशदायी पेंशन योजना" लागू होती है। कृपया इन कर्मचारियों के नियमितीकरण आदेशों का अवलोकन करें जिसमें उनके "अंशदायी पेंशन योजना" के दायरे में आने का स्पष्ट उल्लेख है।

प्रकरण के प्रतिरक्षण हेतु इन नियुक्ति आदेशों को शासकीय अधिवक्ता के संज्ञान मे लाये तथा उन्हें यह बतायें कि कर्मचारी द्वारा तत्समय इन नियुक्ति आदेशों को पूर्णतः स्वीकार किया गया था

24/12

तथा उनकी आगे की पूरी सेवा अवधि में उन्होने इस पर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई है। ऐसी स्थिति में उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत वर्ष 2005 के पूर्व लागू पेंशन नियमों के अधीन आने की पात्रता नहीं बनती। यह एक तरह से नियमितीकरण आदेश की स्वीकार्यता से मुकरने की श्रेणी में आता है।

इस प्रकृति के प्रतिरक्षण से शासन हित में निर्णय की संभावना उत्पन्न होती है। अतः इसका पालन सुनिश्चित करें।

22/12"

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 15962/विधि/प्र.अ./लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक 22/12/2023

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव महोदय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/12"

प्रमुख अभियंता